

बैंक नोटों एवं सिक्कों की मांग में पिछले वर्षों की ही भाँति बढ़ोत्तरी का रुझान रहा। रिजर्व बैंक ने जनता के लिए बैंक शाखाओं, जो लागों के अधिक नजदीक होती हैं, के माध्यम से विनियम सुविधा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने का क्रम जारी रखा। बैंकों द्वारा ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए पुरस्कारों एवं दण्डों की योजना को पुनरीक्षित कर बेहतर बनाया गया साथ ही, मुद्रा के निर्गमन एवं वितरण की गतिविधियों में प्रौद्योगिकीय सहायता पर जोर देते हुए विस्तार किया गया। रिजर्व बैंक बढ़िया गुणवत्ता वाले बैंक नोटों तथा सिक्कों की आपूर्ति करने के साथ ही अंतिम छोर तक जुड़ाव को सुनिश्चित करने के लिए वितरण के नेटवर्क को विस्तारित करने के माध्यम से जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए लगातार यत्न कर रहा है।

VIII.1 केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य मुद्रा प्रबंध होने के कारण इसमें उच्च श्रेणी की दृष्टिसीमा की अपेक्षा होती है क्योंकि लोगों की प्रवृत्ति अक्सर उनकी (केंद्रीय बैंकों की) दक्षता को अपने तक बैंक नोटों की सरलतापूर्वक उपलब्धता एवं गुणवत्ता के आधार पर परखने की होती है। बैंक नोटों का निर्गमन एवं मुद्रा प्रबंध भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों में से एक है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धार 22 रिजर्व बैंक को बैंक नोट निर्गम करने का एकाधिकार प्रदान करती है। रुपया सिक्के (₹1, 2, 5 एवं 10) तथा 50 पैसे के सिक्के भारत सरकार द्वारा निर्गमित किए जाते हैं किंतु उनका परिचालन सिर्फ रिजर्व बैंक के माध्यम से किया जाता है। मुद्रा प्रबंध के अंतर्गत मुद्रा के बारे में योजना बनाना तथा उसकी रूपरेखा (डिजाइन) तैयार करना एवं इसकी गुणवत्ता के मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से समुचित मात्रा में इसके निर्गमन/वापस लेने का कार्य करते हुए इसकी सत्यनिष्ठा और उपलब्धता सुनिश्चित करना होता है।

परिचालनगत बैंक नोट

VIII.2 प्रौद्योगिकी आधारित भुगतान के गैर-नगदी माध्यमों के हाल के समय में अधिक प्रयोग होने के बाद भी 2013-14 में बैंक नोटों एवं सिक्कों की मांग बढ़ना जारी रहा। मार्च 2014 के अंत में, परिचालनगत बैंक नोटों का मूल्य ₹12,829 बिलियन रहा। इसमें मार्च 2013 के अंत की तुलना में 10.1 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान परिचालनगत बैंक नोटों की मात्रा में 77 बिलियन नगों की वृद्धि हुई। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VIII.1)।

सारणी VIII.1 : परिचालनगत बैंक नोट

मूल्य-वर्ग	मात्रा (मिलियन नग)			मूल्य (रु. बिलियन)		
	मार्च 2012	मार्च 2013	मार्च 2014	मार्च 2012	मार्च 2013	मार्च 2014
1	2	3	4	5	6	7
₹ 2 एवं	11,540	11,624	11,698	45	46	46
₹ 5	(16.6)	(15.8)	(15.1)	(0.4)	(0.4)	(0.4)
₹ 10	23,002	25,168	26,648	230	252	266
	(33.2)	(34.2)	(34.5)	(2.2)	(2.2)	(2.1)
₹ 20	3,510	3,825	4,285	70	77	86
	(5.1)	(5.2)	(5.5)	(0.7)	(0.6)	(0.7)
₹ 50	3,488	3,461	3,448	174	173	172
	(5.0)	(4.7)	(4.5)	(1.6)	(1.5)	(1.3)
₹ 100	14,119	14,421	14,765	1,412	1,442	1,476
	(20.3)	(19.6)	(19.1)	(13.4)	(12.4)	(11.5)
₹ 500	10,256	10,719	11,405	5,128	5,359	5,702
	(14.8)	(14.6)	(14.7)	(48.7)	(46.0)	(44.4)
₹ 1,000	3,469	4,299	5,081	3,469	4,299	5,081
	(5.0)	(5.9)	(6.6)	(33.0)	(36.9)	(39.6)
कुल	69,384	73,517	77,330	10,528	11,648	12,829

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

परिचालनगत सिक्के

VIII.3 पिछले वर्षों में देखा गया परिचालनगत सिक्कों में बढ़ोत्तरी का रुझान 2013-14 के दौरान भी जारी रहा। मात्रा एवं मूल्य की दृष्टि से परिचालनगत सिक्कों में क्रमशः 8.2 प्रतिशत और 13.1 प्रतिशत वृद्धि हुई (सारणी VIII.2)।

सारणी VIII.2 : परिचालनगत सिक्के

मूल्य-वर्ग	मात्रा (मिलियन नग)			मूल्य (₹ बिलियन)		
	मार्च 2012	मार्च 2013	मार्च 2014	मार्च 2012	मार्च 2013	मार्च 2014
1	2	3	4	5	6	7
छोटे सिक्के	14,785	14,788	14,788	7	7	7
	(19.0)	(17.4)	(16.1)	(5.3)	(4.6)	(4.1)
₹ 1	34,414	35,884	38,424	34	36	38
	(44.1)	(42.4)	(41.9)	(25.6)	(23.5)	(21.9)
₹ 2	18,201	22,113	24,823	36	44	50
	(23.3)	(26.1)	(27.1)	(27.1)	(28.8)	(28.9)
₹ 5	9,981	10,675	11,577	50	53	58
	(12.8)	(12.6)	(12.7)	(37.2)	(34.6)	(33.5)
₹ 10	648	1,267	2,017	6	13	20
	(0.8)	(1.5)	(2.2)	(4.8)	(8.5)	(11.6)
कुल	78,029	84,727	91,629	133	153	173

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

मुद्रा संबंधी लेनदेन

VIII.4 रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान अपना मुद्रा प्रबंध कार्य 19 निर्गम कार्यालयों, कोच्चि स्थित एक करेंसी चेस्ट, 4,183 करेंसी चेस्टों (उप-राजकोष कार्यालयों सहित) तथा देश भर में फैले वाणिज्य, शहरी सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के छोटे सिक्कों के 3,967 डिपो के नेटवर्क के माध्यम से किया (सारणी VIII.3)।

सारणी VIII.3 : मार्च 2014 के अंत की स्थिति के अनुसार करेंसी चेस्ट एवं छोटे सिक्कों के डिपो

श्रेणी	करेंसी चेस्टों की संख्या	छोटे सिक्कों के डिपो की संख्या
1	2	3
राजकोष (ट्रेजरी)	11	0
भारतीय स्टेट बैंक	2,103	2,036
भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक	769	767
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,149	1,018
निजी क्षेत्र के बैंक	139	134
सहकारी बैंक	2	2
विदेशी बैंक	5	5
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	5	5
कुल	4,183	3,967

VIII.5 नजदीकी बैंक शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों को अधिक आसान विनियम सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हुए रिजर्व बैंक ने मुद्रा के खुदरा वितरण से धीरे-धीरे बाहर निकलना जारी रखा है। बैंकों को अपनी वितरण प्रणाली और प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने की सलाह दी गई है ताकि वे आम आदमी की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। 31 मई 2014 की स्थिति के अनुसार, रिजर्व बैंक के काउंटरों से बैंक नोटों, सिक्कों एवं कटे-फटे बैंक नोटों के अधिनिर्णय में 01 जनवरी 2013 की स्थिति की तुलना में क्रमशः 80 प्रतिशत, 94 प्रतिशत एवं 77 प्रतिशत की कमी आई। साथ ही, इसी अवधि के दौरान निर्धारित बैंक शाखाओं से बैंक नोटों, सिक्कों एवं कटे-फटे नोटों के वितरण में क्रमशः 222 प्रतिशत, 85 प्रतिशत एवं 19 की वृद्धि हुई।

VIII.6 बैंक नोटों तथा सिक्कों के वितरण में बैंकों के सुस्पष्टरूप से अधिक हिस्से एवं महानगरों तथा शहरी केंद्रों के अलावा अन्य स्थानों पर बैंक नोटों एवं सिक्कों की निर्बाध आपूर्ति की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लीड बैंक योजना (एलबीएस) की तर्ज पर एक योजना तैयार की गई है, जिसके अनुसार निर्धारित क्षेत्रों (जिलों/राज्यों) का आबांटन अलग-अलग बैंकों को किया जाना है। प्रायोगिक तौर पर, मुद्रा प्रबंध के लिए रिजर्व बैंक के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (मुंबई और दिल्ली को छोड़कर) ने एक-एक जिला तथा प्रत्येक जिला के लिए एक बैंक का निर्धारण कर लिया है। यह योजना मुद्रा प्रबंध के लिए नोडल बैंक बनने की बैंकों की इच्छा एवं उत्साह पर निर्भर है। निर्धारित लीड बैंक की जिम्मेदारी होगी कि साफ-सुधरे बैंक नोटों तथा सिक्कों की लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं को उस क्षेत्र में स्थित करेंसी चेस्टों एवं छोटे सिक्कों के डिपो से उचित समन्वय के माध्यम से समुचित ढंग से पूरा करना सुनिश्चित करें। प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

VIII.7 देश में बैंक नोटों तथा सिक्कों की बढ़ती मांग को प्रभावी ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से बैंकों को बैंक नोटों एवं सिक्कों के वितरण के लिए कारोबारी प्रतिनिधियों (बीसी) तथा नगद की दुलाई करने वाली (सीआईटी) संस्थाओं की सेवाएं लेने की संभावनाओं का पता लगाने की अनुमति प्रदान की गई थी।

VIII.8 रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के अनुरोध पर बैंक नोटों की विभिन्न श्रृंखलाओं का परिचालन करने से उत्पन्न हुए जोखिम को कम करने के उपाय के रूप में 2005 से पहले निर्गमित सभी बैंक नोटों को परिचालन से वापस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ किया है क्योंकि इनमें 2005 के बाद छापे गए बैंक नोटों की तुलना में कम सुरक्षा संबंधी विशेषताएं (चिह्न) हैं। बैंक नोट वापस लेने की प्रक्रिया इस मानक अंतरराष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप है कि एक ही समय पर विभिन्न श्रृंखलाओं के बैंक नोट परिचालन में नहीं होना चाहिए। रिजर्व बैंक, बैंकों के माध्यम ये इन बैंक नोटों को नेमी कार्य की भाँति वापस लेता रहा है। 1 जनवरी 2015 तक इन बैंक नोटों को किसी भी बैंक शाखा में स्वतंत्रापूर्वक बदला जा सकता है। 1 जनवरी 2015 के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया रिजर्व बैंक द्वारा यथा समय सूचित की जाएगी। नोट वापस लेने की प्रक्रिया से जनता को असुविधा के बिना सुगम तथा गैर-बाधकारी ढंग से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को संवेदनशील बनाया गया था। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) तथा समुचित उत्तरों को रिजर्व बैंक की वेबसाइट में सूचीबद्ध किया गया है।

स्वच्छ नोट नीति

बैंक नोटों तथा सिक्कों की मांग और आपूर्ति

VIII.9 रिजर्व बैंक अर्थमितीय मॉडलों, जिनमें अन्य बातों के अलावा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि की संभावनाओं, मुद्रास्फीति की दर एवं मूल्य-वर्गवार गंदे बैंक नोटों; के आधार पर

सारणी VIII.4 : बैंक नोटों की मांग और प्रेसों द्वारा रिजर्व बैंक को आपूर्ति

(अप्रैल-मार्च)

मूल्य-वर्ग	मात्रा (मिलियन नग)							
	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	
1	2	3	4	5	6	7	8	
₹ 5	0	2	-	-	-	-	-	
₹ 10	5,700	6,252	12,094	5,506	12,164	9,467	8,000	
₹ 20	600	1,045	1,060	1,154	1,203	935	2,300	
₹ 50	1,200	949	1,182	1,626	994	1,174	2,100	
₹ 100	6,100	5,079	5,704	6,675	5,187	5,131	5,200	
₹ 500	2,000	2,330	3,985	3,002	4,839	3,393	5,400	
₹ 1,000	2,000	1,927	746	1,141	975	818	1,500	
कुल	17,600	17,584	24,770	19,103	25,362	20,918	24,500	

सारणी VIII.5 : सिक्कों की मांग और टकसालों द्वारा रिजर्व बैंक को आपूर्ति

(अप्रैल-मार्च)

मूल्य-वर्ग	Volume (million pieces)							
	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	
1	2	3	4	5	6	7	8	
50 पैसे	70	107	50	6	50	40	40	
₹1	1,600	1,480	4,177	1,572	5,418	3,092	6,000	
₹2	2,900	3,343	2,741	3,742	3,546	2,424	4,000	
₹5	800	761	1,586	615	1,819	1,393	2,000	
₹10	1,000	403	1,000	943	1,200	728	1,460	
कुल	6,370	6,094	9,554	6,878	12,033	7,677	13,500	

सिक्कों एवं बैंक नोटों की मांग क्रमशः टकसालों एवं प्रेसों के समक्ष रखता है। तदनुसार, बैंक नोटों की आपूर्ति 2012-13 के 19.1 बिलियन नगों से बढ़कर 2013-14 में 20.9 बिलियन नग (9.5 प्रतिशत वृद्धि) कर दी गई (सारणी VIII.4)। इस अवधि में सिक्कों की आपूर्ति भी पिछले वर्षों की तुलना में 11.6 बढ़कर 7.7 बिलियन नग हो गई (सारणी VIII.5)।

गंदे बैंक नोटों को नष्ट करना

VIII.10 2013-14 के दौरान लगभग 14.2 बिलियन नग गंदे बैंक नोट नष्ट किए गए जबकि लक्ष्य 17 बिलियन नगों को नष्ट करने का था। नोट नष्ट करने की उपलब्ध क्षमता तथा पिछले 3 वर्षों के दौरान वास्तव में नष्ट किए जाने के रुझान को ध्यान में रखते हुए 2014-15 के लिए लगभग 17 बिलियन नगों को नष्ट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया (सारणी VIII.6)।

सारणी VIII.6 : रिजर्व बैंक द्वारा गंदे नोटों का

नष्ट किया जाना

(अप्रैल-मार्च)

मूल्य-वर्ग	मात्रा (मिलियन नग)			
	2011-12	2012-13	2013-14	
1	2	3	4	
₹ 1,000		375	450	511
₹ 500		1,994	2,263	2,405
₹ 100		5,577	5,627	4,972
₹ 50		1,578	1,357	1,398
₹ 20		562	609	725
₹ 10		3,584	3,752	4,128
₹ 5 तक		101	72	48
कुल	13,772	14,130	14,187	

जाली नोट

VIII.11 रिजर्व बैंक ने जाली नोटों की समस्या पर नजर रखने के लिए जाली नोटों की रिपोर्टिंग को उचित एवं तत्पर बनाना सुनिश्चित करने के लिए चेस्टों/शाखाओं में छटनी की मशीनें लगाने और सभी बैंकों में जाली नोट निगरानी (एफएनवी) प्रकोष्ठ बनाने पर जोर देना जारी रखा है। परिचालनगत बैंक नोटों में जनता का भरोसा मजबूत करने तथा वित्तीय घाटे के साथ ही प्रतिष्ठा में कमी के जोखिमों को नियंत्रित और कम करने की दृष्टि से बैंकों को अपने नगदी प्रबंध को इस प्रकार से पुनर्समायोजित करने की सलाह दी गई है कि नगदी रूप में प्राप्त ₹100 या अधिक मूल्य-वर्ग के बैंक नोटों को असली होने की मशीनी प्रक्रिया से गुजारे बिना पुनःपरिचलन में नहीं डाला जाना सुनिश्चित करें। रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा जाली नोटों के पता लगाने और रिपोर्टिंग करने के संबंध में पुरस्कार-दण्ड की प्रणाली भी प्रारंभ की गई है।

VIII.12 2013-14 के दौरान 488,273 नग जाली नोटों का पता लगाया गया जिनमें से 468,446 नगों (95.9 प्रतिशत) का पता वाणिज्य बैंकों की शाखाओं ने लगाया जबकि 19,827 नगों (4.1 प्रतिशत) का पता रिजर्व बैंक के कार्यालयों ने लगाया

सारणी VIII.7 : पता लगाई गई¹ जाली नोटों की संख्या

(अप्रैल-मार्च)

(नगों की संख्या)

वर्ष	में पता लगाया गया		कुल
	रिजर्व बैंक	अन्य बैंक	
1	2	3	4
2011-12	37,690 (7.2)	4,83,465 (92.8)	5,21,155
2012-13	29,200 (5.9)	4,69,052 (94.1)	4,98,252
2013-14	19,827 (4.1)	468,446 (95.9)	488,273

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

सारणी VIII.8 : बैंकिंग प्रणाली में विद्यमान जाली नोटों का मूल्य-वर्ग वार पता लगाना

(अप्रैल-मार्च)

(नगों की संख्या)

मूल्य-वर्ग ₹ में	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4
2 एवं 5	—	2	1
10	126	321	157
20	216	221	87
50	12,457	9,759	6,851
100	123,398	108,225	118,873
500	301,678	281,265	252,269
1,000	83,280	98,459	110,035
कुल नग	521,155	498,252	488,273
अनुमानित मूल्य ₹ बिलियन में	0.25	0.25	0.25

टिप्पणी : आंकड़ों में पुलिस तथा अन्य प्रवर्तन ऐजेंसियों द्वारा जब्त किए गए जाली नोट शामिल नहीं हैं।

(सारणी VIII.7) | 2013-14 के दौरान ₹1,000 एवं ₹100 के जाली नोटों का पता लगाने में क्रमशः 11.8 प्रतिशत और 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि ₹500 मूल्य-वर्ग में पिछले वर्ष की तुलना में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VIII.8)। हालांकि, इस आंकड़े में पुलिस तथा अन्य प्रवर्तन ऐजेंसियों द्वारा जब्त किए गए जाली नोटों को शामिल नहीं किया गया है।

प्रतिभूति के मुद्रण एवं वितरण पर व्यय

VIII.13 रिजर्व बैंक, बैंक नोटों के परिवहन के लिए बार-बार दुलाई तथा सुरक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता में कमी लाने और इस प्रकार से खजाने के लाने-लेजाने की लागत में कमी के साथ ही तीव्र गति को सुनिश्चित करने के लिए नोट प्रिंटिंग प्रेसों से सीधे करेंसी चेस्टों में बैंक नोट जमा करने की योजना का उत्तरोत्तर अनुसरण कर रहा है। 2013-14 (जुलाई-जून) के दौरान प्रतिभूति मुद्रण पर ₹32.1 बिलियन का व्यय किया गया जबकि 2012-13 (जुलाई-जून) के दौरान ₹28.7 बिलियन का व्यय हुआ था।